अध्याय 2

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए पुन:अभियंत्रण प्रक्रिया

अध्याय 2

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए पुन:अभियंत्रण प्रक्रिया

2.1 सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के लिए प्रलेखन तैयार न करना

आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए मौजूदा बोझिल संवितरण प्रक्रियाओं का पुन:अभियंत्रण करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एक प्रमुख सुधार पहल है। किसी भी योजना या कार्यक्रम में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी एक अपेक्षित महत्वपूर्ण अंग है।

योजनाएं मैनुअल मोड के अंतर्गत परिचालन में थीं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ढांचे को अपनाने के लिए प्रक्रिया का पुन:अभियंत्रण तथा लेखापरीक्षा ट्रेल के रखरखाव सहित प्रणाली विकास के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करना महत्वपूर्ण था। इसके लिए उपयोगकर्ता की आवश्यकता को एकत्र करने और ज्ञान हस्तांतरण एवं व्यापार निरंतरता के लिए इसका प्रलेखन करने के लिए इसे प्रणाली आवश्यकता और डिजाइन के अनुरूप करने हेतु एक परामर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।

लेखापरीक्षा ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से 2017-18 से 2019-20 (जुलाई 2020 तक विस्तारित) की अवधि के लिए माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तथा कंप्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीकों जैसे टेबलू तथा इंटरएक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन विश्लेषण (आइडिया) का उपयोग करके प्राप्त किए गए लाभार्थियों के आंकड़ों का डाटा विश्लेषण किया।

डाटा विश्लेषण के परिणामों का सत्यापन क्षेत्र कार्यालयों अर्थात् छः जिला समाज कल्याण कार्यालयों यथा अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर में उपलब्ध अभिलेखों के साथ किया गया था। सांख्यिकीय नमूना पद्धति का उपयोग करते हुए, प्रत्येक चयनित जिला कार्यालयों में सत्यापन के लिए पांच प्रतिशत मामलों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की लाभ योजनाओं के अंतर्गत लाभ संवितरण के कम्प्यूटरीकरण हेतु एप्लिकेशन के विकास का कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से किया गया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने एप्लिकेशन के विकास को शुरू करने से पहले कोई उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश/प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश तैयार नहीं किया था।

जब प्रणाली को पूर्ण प्रलेखन के अभाव में विकसित किया जाता है, तो यह न केवल लंबे समय तक प्रणाली को बनाए रखना मुश्किल बना देगा बल्कि इस प्रकार आश्वासन प्राप्त करने हेतु प्रणाली की समीक्षा करना संभव नहीं होगा कि यह कार्य को अभिप्रेत अनुसार करती है।

सिस्टम आवश्यकता विनिर्देश तैयार न होने के कारण, लेखापरीक्षा एप्लिकेशन में पूर्ण व्यवसाय नियमों की मैपिंग और पर्याप्त प्रणाली नियंत्रण के बारे में स्वयं को आश्वस्त नहीं कर सकी।

मृत पेंशनभोगियों का नामांकन, मृत पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए कम उम्र के व्यक्तियों का नामांकन, एक ही व्यक्ति का कई योजनाओं के अंतर्गत नामांकन, एक ही आधार आईडी के अंतर्गत नामांकित कई व्यक्ति, लाभार्थी के अलावा अन्य व्यक्ति के खाते में लाभ का अंतरण जैसी कमियां लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई थी (जिनकी चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है) जो कमजोर प्रणालीगत नियंत्रण को दर्शाता है।

चूंकि प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश/उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश तैयार नहीं किया गया था, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली की प्रभावशीलता को लेखापरीक्षा उद्देश्यों और डाटा विश्लेषण के अनुरूप डिजाइन किए गए लक्षित लेखापरीक्षा प्रश्नों के माध्यम से जांचा गया था। विश्लेषण और सत्यापन इस तथ्य को जानने के लिए केंद्रित था कि क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रक्रिया पुन:अभियंत्रण, दोहराव, सटीक लक्ष्यीकरण और प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था। अध्यायों में विश्लेषण के निष्कर्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार कमियों का वित्तीय निहितार्थ ₹ 237.31 करोड़ था जैसा कि नीचे तालिका 2.1 में वर्णित है:

तालिका 2.1: कमियों के वित्तीय निहितार्थ का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुच्छेद संदर्भ	श्रेणी/उप श्रेणी	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	विधवा और निराश्रित महिलाओं को पेंशन	हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन योजना	अपात्र लाभार्थियों को भुगतान के संबंध में धन मूल्य पर प्रभाव
2.6.1	विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत मृत लाभार्थियों के खाते में पेंशन का अंतरण	80.12	13.76	3.66	97.54
2.6.3	सामान्य पेंशन खाते के रूप में माने गए मृत लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अंतरण	1.63	0.56	0.14	2.33
2.9	एक ही आधार नंबर पर कई लाभार्थियों को संवितरित पेंशन	6.61	2.08	0.46	9.15
2.10	दो योजनाओं के अंतर्गत एक साथ लाभ देकर अनुचित लाभ	0.21	-	-	0.21
2.11	अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में लाभार्थियों की पेंशन का अंतरण	36.95	17.53	-	54.48
2.12	अपात्र लाभार्थियों को भुगतान (60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले लाभार्थियों को अंतरण)	0.94	-	-	0.94
2.13	सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण	5.96	2.27	0.30	8.53
2.14	पता न लगाए जाने वाले लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण	46.38	13.91	3.84	64.13
	कुल				**237.31**

प्रलेखन के बिना सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन विकास के मामलों/अभ्युक्तियों और अनियमित भुगतान के मामलों की जांच की जानी चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

2.2 पेंशन लाभों के संवितरण में विलंब

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उद्देश्य भुगतान में तेजी लाकर एवं वित्तीय समावेशन[1] को बढ़ाकर लोगों को बेहतर और समय पर लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना था। विभाग द्वारा संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों को जारी प्राधिकार-पत्र के अनुसार पेंशन राशि प्राधिकार-पत्र जारी होने की तिथि को लाभार्थियों के खाते में जमा की जानी चाहिए। तथापि, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतान के लिए स्थायी संचालन प्रक्रिया पर विचार करते हुए भुगतान प्रतिक्रिया (सफलता/विफलता) प्राप्त करने के लिए अधिकतम समय टी+4 कार्य दिवस है, जहां टी लेन-देन का दिन है जब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए प्रणाली द्वारा भुगतान प्रक्रिया को प्राधिकृत करने के साथ भुगतान फाइल प्राप्त होती है तथा $टी_4$ भुगतान फाइल के प्रवर्तक को भुगतान की प्रक्रिया (सफलता/विफलता) के बाद प्रतिक्रिया फाइल जमा करने के लिए अधिकतम अनुमेय समय का प्रतिनिधित्व करता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि:

(क) भुगतान स्थिति क्षेत्र

अप्रैल 2017 और जुलाई 2020 की अवधि के लिए विभाग द्वारा प्रदान किए गए लाभार्थियों के आंकड़ों के विश्लेषण पर यह पाया गया कि अवधि के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में ₹ 19,803.12 करोड़ (10,47,65,864 लेन-देन) की पेंशन अंतरित की गई। इस डाटाबेस में गंतव्य बैंक से प्रत्येक लेन-देन की स्थिति 'भुगतान स्थिति' के अंतर्गत दर्ज की गई थी। 'भुगतान की स्थिति' क्षेत्र के अंतर्गत सात प्रकार के संदेशों अर्थात् 'सफल', 'अन्य', 'सफल जमा', 'फ्रीज़ खाता', 'खाता निष्क्रिय है', 'खाता मौजूद नहीं है', 'खाता बंद है' तथा 'प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई' को कैप्चर किया गया था।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि:

- लाभार्थियों के खातों में ₹ 19,803.12 करोड़ में से केवल ₹ 16,695.71 करोड़ (8,74,52,031 लेन-देन) सफलतापूर्वक अंतरित किए गए ***(परिशिष्ट-I)***।
- विभाग द्वारा ₹ 3,025.61 करोड़ (1,68,80,027 लेन-देन) के लेन-देन की स्थिति डाटाबेस में अद्यतन नहीं की गई है। संवितरण एजेंसियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पेंशन पोर्टल पर प्रतिक्रिया अपलोड करने की आवश्यकता थी। हालांकि, इसे न तो पोर्टल पर अपलोड किया गया और न ही विभाग द्वारा इसकी निगरानी की गई।
- लाभार्थियों के खाते में ₹ 81.80 करोड़ की पेंशन (4,33,806 लेन-देन) कई कारणों जैसे कि फ्रोजन, खाता निष्क्रिय है, खाता मौजूद नहीं है, खाता बंद है एवं अन्य कारणों से अंतरित नहीं की गई है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि यह राशि

[1] वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि विभाग के पास एक जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से प्रदान की जाने वाली उपयोगी सेवाओं तक पहुंच है जो उनकी जरूरतों - लेनदेन, भुगतान और बचत को पूरा करती हैं।

विभाग द्वारा वापस प्राप्त की गई थी अथवा संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों के पास पड़ी थी।

- ₹ 10.86 करोड़ (58,872 लेन-देन) के ऐसे लेन-देन थे जहां लाभार्थियों के खातों में क्रेडिट/भुगतान की स्थिति को डाटाबेस में शीर्ष 'अन्य' के अंतर्गत दर्शाया गया था। मिलान के अभाव के कारण इन लेन-देनों की वर्तमान स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। विभाग को क्रेडिट की वास्तविक स्थिति का मिलान कर उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

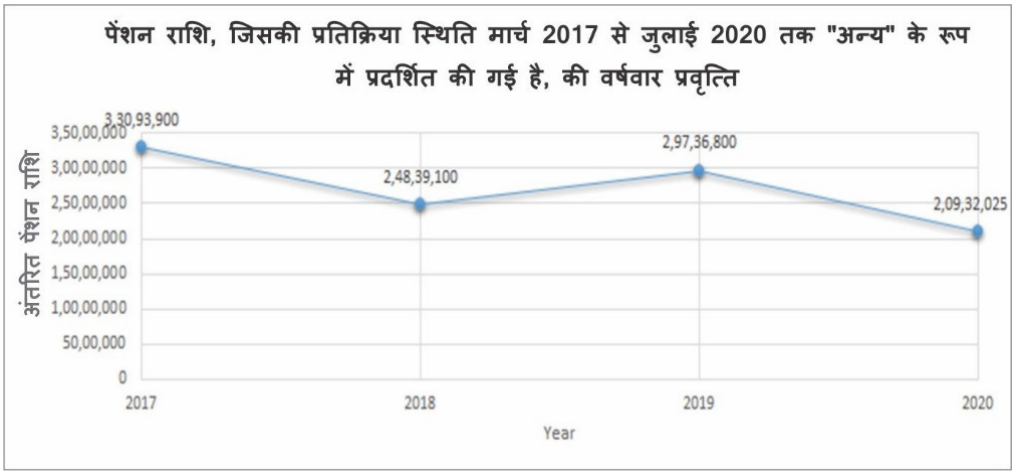

विभाग ने संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों को जारी मासिक प्राधिकार-पत्र में उल्लेख किया है कि प्राधिकार-पत्र जारी होने के दिन ही लाभार्थियों के खातों में राशि जमा की जाए और असंवितरित राशि विभाग को उसके विवरण के साथ वापस की जाए। न तो संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों द्वारा ऐसा किया गया और न ही विभाग द्वारा इसका अनुसरण किया गया। यह भी उल्लेख करना भी उचित था कि विभाग ने संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

(ख) लेन-देनों के लिए लिया गया समय

भुगतान फाइल के प्रवर्तक को भुगतान की प्रक्रिया (सफल/असफल) के बाद प्रतिक्रिया फाइल की प्रस्तुति के लिए अधिकतम अनुमत समय के पश्चात् अर्थात् बैंकों/संवितरण एजेंसी को प्राधिकार-पत्र से चार दिनों पश्चात् ₹ 7,852.23 करोड़ की पेंशन 4,22,06,476 लेन-देनों में अंतरित की गई थी ***(परिशिष्ट-III)***। विलंब एक दिन (अर्थात् टी+4 के बाद के दिन) से लेकर 444 दिनों के मध्य था।

लाभार्थियों को लाभ के संवितरण में विलंब ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के मुख्य उद्देश्य को विफल कर दिया, जबकि समय पर मिलान और राशि जमा करने के लिए निर्देशों को लागू न करने की कमी का उपाय करना होगा, ताकि प्रणाली अपेक्षित रूप से काम कर सके।

2.3 लाभार्थियों के विलंब से नामांकन के कारण वांछित लाभ प्रदान करने में विलंब

भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं के भीतर अपने नागरिकों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता के साथ-साथ अन्य अभाव की दशाओं में बिना शर्त सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। सामाजिक सुरक्षा, अवैध और वृद्धावस्था पेंशन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में 7वीं अनुसूची की मद संख्या 23 और 24 के रूप में हैं। यह इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन में है कि भारत सरकार ने 1995 के स्वतंत्रता दिवस पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पूर्ण वित्त पोषित केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया।

वर्तमान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में इसके घटकों के रूप में पांच[2] उप-योजनाएं शामिल हैं जिनमें निम्नलिखित तीन शामिल हैं: **(क)** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना **(ख)** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना **(ग)** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना।

अक्तूबर 2014 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि:

(i) राज्य यह सुनिश्चित करें कि पात्र व्यक्ति की पात्रता को उनके घरों तक पहुंचकर सक्रिय रूप से पहचाना जाना चाहिए। हालांकि, यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में नहीं आता है तो उसे पात्र लाभार्थियों की सूची से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की उप-योजनाओं के अंतर्गत सहायता गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के लिए लागू है।

(iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र आयु 60 वर्ष है।

(iv) क्षेत्र स्तरीय कर्मचारियों/अधिकारियों को लाभार्थियों की पहचान करने और फॉर्म भरवाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। साथ ही संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(v) गरीबी रेखा से नीचे के नए लाभार्थियों की पहचान के लिए ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं को केंद्रीय भूमिका दी जानी चाहिए। निर्वाचित प्रमुखों और प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के मानदंडों और प्रक्रियाओं के बारे में अवगत किया जाना चाहिए।

(vi) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 2001 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 196 के निर्देशों के अनुसार भी योग्य व्यक्ति की पात्रता की पहचान की जानी चाहिए और उसे लाभार्थियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

---

[2] (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (iv) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और (v) अन्नपूर्णा योजना। राज्य की चयनित योजनाओं द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभ शामिल हैं।

(vii) जब भी व्यक्ति आवेदन दाखिल करें, यह प्राधिकृत अधिकारियों का दायित्व है कि वे संभावित लाभार्थियों तक 'आज ही' दृष्टिकोण के साथ पहुंचे और आवेदन-पत्र भरवाएं तथा प्रासंगिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करें। क्षेत्र स्तरीय कर्मचारियों/अधिकारियों को लाभार्थियों की पहचान कर फार्म भरने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। साथ ही संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि गरीबी रेखा से नीचे के 78,567[3] लाभार्थियों ***(परिशिष्ट-III*** में दिए गए जिला-वार विवरण***)*** को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद योजना प्रबंधन प्रणाली में पंजीकृत किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे के इन लाभार्थियों के नाम दर्ज करने में विलंब की सीमा एक वर्ष से लेकर 20 वर्ष के मध्य थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.2: लाभार्थियों के नामांकन में विलंब की सीमा के विवरण

विलंब की सीमा वर्षों में (60 वर्षों के बाद)	लाभार्थियों की संख्या
0-5	61,987
6-10	12,969
11-20	3,288
कुल योग	**78,244**

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि गरीबी रेखा से नीचे के 78,244 लाभार्थियों (जिनमें से 75,214 को आज की स्थिति अनुसार सामान्य[4] के रूप में दर्शाया गया है) को एक वर्ष से 20 वर्ष के मध्य की विलंब के साथ पंजीकृत किया गया था, जबकि इन लाभार्थियों को विभाग द्वारा सक्रिय रूप से तब पहचाना जाना चाहिए था जब लाभार्थी ने आयु दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवश्यक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी। विभाग द्वारा उनके घरों तक पहुंचकर लाभार्थियों की पहचान की जानी चाहिए।

छः चयनित जिलों में गरीबी रेखा से नीचे के 22,206 लाभार्थी थे, जिन्हें डाटा विश्लेषण के परिणामों के अनुसार विलंब से लाभ दिया गया था। जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से चयनित छः कार्यालयों में 541[5] मामलों (0-5 वर्ष: 426, 6-10 वर्ष: 91, 11-20 वर्ष: 21 मामले, 20 से अधिक वर्षों के लिए तीन मामले) के साथ डाटा विश्लेषण के परिणामों की जांच की गई थी। सत्यापन ने सभी 541 मामलों के संबंध में डाटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि की। इसके अलावा, छः जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से किसी के द्वारा भी घरेलू सर्वेक्षण नहीं किया था।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

---

[3] तालिका में उल्लिखित 78,244 लाभार्थियों के अलावा, 323 लाभार्थियों (योजना की शुरुआत के बाद की अवधि के लिए) को अभीष्ट लाभ देने में 21-40 वर्षों का विलंब भी देखा गया था।

[4] डाटाबेस के अनुसार उस तिथि को योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र कोई भी व्यक्ति।

[5] अंबाला-100, कैथल-100, करनाल-100, कुरुक्षेत्र-100, पंचकुला-41 और यमुनानगर-100

2.4 लाभार्थियों के नामांकन में विलंब से सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होना

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन योजनाओं के लिए अधिसूचित समय सीमा के भीतर पात्र व्यक्ति को सेवा प्रदान करने का प्रावधान करता है। सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, सेवाएं प्रदान करने की समयावधि को संशोधित (नवंबर 2016) कर आवेदन की तारीख से 120 दिन से 60 दिन कर दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना प्रबंधन प्रणाली में 2,84,471 लाभार्थी हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम में निर्धारित समय सीमा अर्थात् 60 दिनों के बाद पंजीकृत किए गए थे। चयनित योजनाओं अर्थात वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा, निराश्रित महिला को पेंशन तथा हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन में लाभार्थियों के नाम दर्ज करने में विलंब की सीमा एक दिन से 963 दिनों के मध्य थी।

डाटा विश्लेषण के परिणामों के अनुसार छः चयनित जिलों में 80,434 लाभार्थी थे, जिनका नामांकन विलंब से हुआ था। जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से चयनित छः कार्यालयों में 600[6] (विलंब की सीमा: एक दिन से 609 दिनों के बीच) चयनित मामलों के साथ परिणामों का क्रॉस सत्यापन किया गया। सत्यापन ने सभी 600 मामलों के डाटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि की। जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया में परिणामों की पुष्टि की।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

2.5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संवितरण के लिए विशिष्ट समय-सीमा का पालन न करना

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं आय समर्थन योजनाओं जैसी हैं और योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी मासिक आधार पर पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। 2001 की रिट याचिका संख्या 196 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के संबंध में भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने लाभार्थियों के आंकड़ों के विश्लेषण पर पाया कि संवितरण एजेंसियों को पेंशन भुगतान प्राधिकार जारी करने में विलंब हुआ था। विलंब दो और 262 दिनों के मध्य था (प्रत्येक माह की 10वीं[7] तारीख से गणना की गई)। यह भी पाया गया कि गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना सहित सभी योजनाओं के अंतर्गत उक्त समय सीमा में नियमित रूप से पेंशन भुगतान नहीं किया जा रहा था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निर्देशों का उल्लंघन था।

---

6 अंबाला-100, कैथल-100, करनाल-100, कुरुक्षेत्र-100, पंचकुला-100 और यमुनानगर-100

7 विभाग स्तर पर प्रसंस्करण के लिए तीन दिनों पर विचार किया गया।

लाभों का भुगतान करने के लिए निर्धारित समय-सीमा को सुनिश्चित न करने से समाज के कमजोर वर्ग को कठिनाई होगी। इसके अलावा विभाग मासिक प्राधिकार-पत्र में संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों को निर्देश देता है कि वे प्राधिकार-पत्र जारी होने के दिन ही लाभार्थियों के खातों में राशि जमा करें और असंवितरित राशि विवरणों के साथ विभाग को वापस करें।

2.6 मृत लाभार्थियों के खाते में पेंशन का अंतरण

हरियाणा सरकार की दिनांक 20 सितंबर 2006 की अधिसूचना के अंतर्गत 29 नवंबर 2005 से लागू 'वृद्धावस्था भत्ता योजना 2005' योजना नियम, 2005 के नियम 9 (ii) के अनुसार, लाभार्थी की मृत्यु पर भत्ता देय होना बंद हो जाएगा और यदि किसी विशिष्ट अवधि के लिए भत्ता प्राप्त करने से पहले लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, वह समाप्त हो जाएगा।

आगे दिनांक 10 जून 2011 की सरकारी अधिसूचना संख्या 459-एसडब्ल्यू(4)-2011 के अनुसार, यदि किसी मामले में बैंक खाते से लगातार 60 दिनों की अवधि तक कोई निकासी नहीं होती है, तो बैंक द्वारा इस योजना के प्रयोजन के लिए इस तरह के बैंक खाते को "निष्क्रिय" कर दिया जाएगा, जिसमें इस योजना के अंतर्गत लाभ का कोई और क्रेडिट नहीं होगा। बैंक द्वारा ऐसे "निष्क्रिय" बैंक खातों की सूचना विभाग को दी जाएगी। यदि लाभार्थी 90 दिनों के अंदर उचित कारण के साथ बैंक खाते के पुन:परिचालन हेतु आवेदन करता है तो बैंक खाते को निदेशक की अनुमति से पुनःपरिचालनगत किया जा सकता है। यदि नहीं, तो इस योजना के उद्देश्य हेतु बैंक खाते "डेड" हो जाएगा और अंतिम आहरण के बाद बैंक खाते में जमा किए गए लाभों को बैंक द्वारा अर्जित ब्याज के साथ विभाग को वापस प्रेषित किया जाएगा।

विभाग मासिक प्राधिकार-पत्र में संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों को अनुदेश देता है कि प्राधिकार-पत्र जारी होने के दिन ही लाभार्थियों के खातों में राशि जमा की जाए और असंवितरित राशि उसके विवरणों सहित विभाग को वापस कर दी जाए। विभाग ने यह भी बताया कि मृत्यु के मामलों का डाटा भारत के रजिस्ट्रार जनरल के पोर्टल से प्राप्त किया जा रहा था और मृतक लाभार्थियों की पहचान आधार नंबर से मिलान करके की जा रही थी।

डाटा के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

2.6.1 विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत मृत लाभार्थियों के खाते में पेंशन का अंतरण

एक माह से 40 माह तक की अवधि हेतु चयनित योजनाओं के अंतर्गत 91,436 मृत लाभार्थियों के खाते में ₹ 98.96[8] करोड़ की पेंशन राशि अंतरित की गई जैसा कि नीचे वर्णित है:

[8] इसमें अनुच्छेद 2.9 और 2.11 से 2.14 में चर्चा किए गए 2,580 लाभार्थियों के लिए ₹ 1.42 करोड़ शामिल हैं।

तालिका 2.3: मृत लाभार्थियों को अंतरित पेंशन के विवरण

योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या	अंतरित कुल राशि (₹ करोड़ में)
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	74,893	81.29
विधवा और निराश्रित महिलाओं को पेंशन	12,990	13.97
हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन योजना	3,553	3.70
कुल	**91,436**	**98.96**

डाटा विश्लेषण से पता चला कि छः चयनित जिलों में 25,861 लाभार्थी थे, जहां उनकी मृत्यु के बाद खातों में पेंशन अंतरित की गई थी। जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से चयनित छ: कार्यालयों में 569[9] चयनित मामलों के साथ इसका क्रॉस-सत्यापन किया गया था। सत्यापन प्रक्रिया ने डाटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि की। 50 मामलों (सात कैथल, छ: पंचकुला और यमुनानगर में 37) में ₹ 9.04 लाख की राशि वसूल की गई थी। शेष 519 मामलों में, जैसा कि जिला समाज कल्याण कार्यालयों ने अपनी प्रतिक्रिया में पुष्टि की है कि संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालयों ने संबंधित बैंकों के साथ इस मुद्दे को उठाया है और पेंशन राशि को विभाग के खाते में वापस अंतरित करने का अनुरोध किया है।

पहले से ही मृतक के रूप में पहचाने गए लाभार्थियों को पेंशन का संवितरण इंगित करता है कि इन लेन-देनों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रणाली में न तो अनुकूल नियंत्रण/रोक लगाई गई थी और न ही उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा भुगतान की निगरानी की जा रही थी। डाटा विश्लेषण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए अंतराल की निगरानी के लिए विभाग किसी व्यावसायिक बुद्धिमत्ता या रिपोर्टों का उपयोग भी नहीं कर रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

2.6.2 मृत्यु के बाद नामांकित लाभार्थियों को भुगतान

संवीक्षा के दौरान यह अवलोकित किया गया कि चयनित योजनाओं के अंतर्गत 1,092 लाभार्थियों[10] के नाम उनकी मृत्यु के बाद दर्ज किए गए थे।

₹ 23.27 लाख की पेंशन 241 लाभार्थियों को अंतरित की गई (1,092 लाभार्थियों में से जैसा कि प्रस्तुत डाटा से देखा गया है) जिनका नाम लाभार्थी के रूप में उनकी मृत्यु के बाद चयनित योजनाओं के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि इन लाभार्थियों की स्थिति को आज (जुलाई 2020) भी डाटाबेस में 'मृत' के रूप में दर्शाया गया है। इसने अपर्याप्त निगरानी और प्रणाली नियंत्रण को इंगित किया है।

छः चयनित जिलों में 78 लाभार्थियों के नामांकन उनकी मृत्यु के बाद किए गए थे (डाटा विश्लेषण के परिणामों के अनुसार), जहां पेंशन खातों में अंतरित की गई थी। यह जिला समाज

---

9 अंबाला-100, कैथल-100, करनाल-100, कुरुक्षेत्र-100, पंचकुला-69 और यमुनानगर-100

10 वृद्धावस्था सम्मान भत्ता-828 लाभार्थी, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को पेंशन-167 लाभार्थी और हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन योजना-97 लाभार्थी।

कल्याण कार्यालयों में से चयनित छः कार्यालयों में सात[11] चयनित मामलों में मान्य किया गया था। तीन मामलों (कैथल में एक और यमुनानगर में दो मामले) में ₹ 0.21 लाख की राशि वसूल की गई है। शेष चार मामलों में, संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालयों ने संबंधित बैंकों के साथ इस मुद्दे को उठाया है और पेंशन राशि को विभाग के खाते में वापस अंतरित करने का अनुरोध किया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

2.6.3 सामान्य पेंशन खाते के रूप में माने गए मृत लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अंतरण

तीन योजनाओं के अंतर्गत 618 लाभार्थियों के खाते में ₹ 2.34[12] करोड़ की पेंशन राशि उनकी मृत्यु के बाद अब तक (जुलाई 2020) अंतरित की गई, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 2.4: तीन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को मृत्यु के बाद अंतरित पेंशन के विवरण

पेंशन का प्रकार	लाभार्थियों की संख्या	अंतरित पेंशन राशि (₹ में)
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	419	1,63,59,650
विधवा पेंशन	159	56,37,600
दिव्यांगता पेंशन	40	14,39,650
कुल	**618**	**2,34,36,900**

इसके अलावा, उपर्युक्त खातों को सामान्य लाभार्थियों के रूप में दिखाया गया था अर्थात पेंशन संवितरण के लिए आज तक (जुलाई 2020) पात्र लाभार्थी।

डाटा विश्लेषण के परिणामों के अनुसार, छः चयनित जिलों में 188 लाभार्थी थे जिनमें मृत लाभार्थियों को अंतरित की गई पेंशन को सामान्य माना गया था। जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से चयनित छः कार्यालयों में 10[13] मामलों के क्रॉस सत्यापन के माध्यम से इसे मान्य किया गया था। 10 मामलों में से एक मामले (जिला करनाल) में ₹ 0.34 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी और एक अन्य मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी (पंचकुला) ने बताया कि लाभार्थी का सत्यापन प्रक्रियाधीन है। शेष आठ मामलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर के जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने बताया कि गलत आधार नंबरों को जोड़ने के कारण आधार सत्यापन प्रक्रिया के दौरान त्रुटि हुई और इस प्रकार इन लाभार्थियों को मृत के रूप में घोषित कर दिया गया। हालांकि, पहले मृत घोषित लाभार्थियों के शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बाद तथा उनके आधार कार्ड के प्रस्तुतीकरण के बाद इन लाभार्थियों की पेंशन फिर से शुरू कर दी गई थी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

---

11 अंबाला-1, कैथल-1, करनाल-1, कुरुक्षेत्र-1, पंचकुला-1 और यमुनानगर-2

12 इसमें 12 लाभार्थी शामिल हैं जिन्हें ₹ 0.01 करोड़ की अनधिकृत पेंशन अंतरित की गई थी जैसा कि अनुच्छेद 2.9, 2.11 और 2.14 में इंगित किया गया है।

13 अंबाला-3, कैथल-2, करनाल-1, कुरुक्षेत्र-2, पंचकुला-1 और यमुनानगर-1

उत्तर इंगित करता है कि आधार को जोड़ने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। चूंकि आधार को जोड़ना त्रुटि-मुक्त माना जाता है, लिगेसी डाटा के नामांकन/प्रवासन के समय गलत आधार नंबर प्रविष्ट करना और उनके भौतिक रूप से उपस्थित होने के बाद सुधार करना डाटा की अखंडता के साथ-साथ अपनाई गई प्रक्रिया पर भी संदेह उत्पन्न करता है। विभाग को जांच करने और उत्तरदायित्व तय करने की आवश्यकता है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि लिगेसी डाटा के मामले में इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, नए डाटा का प्रसंस्करण करते समय विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि ऐसा नहीं होगा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के पोर्टल पर डाटा वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि, विभाग को तीन से चार माह बीत जाने के बाद मृत लाभार्थियों का विवरण पता चलता है। इस अवधि में इन मृत लाभार्थियों को पेंशन जारी रहती है।

2.7 पेंशन डाटाबेस में लाभार्थियों की आय का अद्यतन न होना

हरियाणा सरकार की 22 मार्च 2012 को जारी अधिसूचना के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने के लिए अधिकतम आय सीमा ₹ 50,000 प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹ 2,00,000 प्रति वर्ष कर दी गई थी। व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए पात्र था, यदि:

(i) व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो;

(ii) व्यक्ति हरियाणा राज्य का अधिवासित है और निवासी है; तथा

(iii) उसके पति/पत्नी सहित सभी स्रोतों से उसकी आय ₹ 2,00,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसी प्रकार, 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला योजना के अंतर्गत विधवा और निराश्रित महिला पेंशन के लिए पात्र थी यदि सभी स्रोतों से उसकी स्वयं की आय ₹ 2,00,000 प्रति वर्ष से कम थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो योजनाओं अर्थात् वृद्धावस्था सम्मान भत्ता तथा विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना में कुल 34,84,872 लाभार्थियों में से 34,07,826 लाभार्थियों द्वारा आय क्षेत्र को खाली छोड़ दिया गया था। नामांकन के समय लाभार्थी की वार्षिक आय को सत्यापित करने के लिए न तो कोई तंत्र विकसित किया गया और न ही पात्रता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों की आय की आवधिक समीक्षा की गई।

इस प्रकार, लाभार्थियों की सत्यापन प्रक्रिया काफी हद तक न के बराबर थी। इसके अलावा, डाटाबेस में आय की नॉन-कैप्चरिंग के परिणामस्वरूप अपूर्ण और अविश्वसनीय डाटा एकत्र हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि परिवार पहचान-पत्र[14] कार्यक्षमता प्लेटफॉर्म शामिल करते हुए पेंशन डाटाबेस में आय का अद्यतन चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से यह भी सुझाव दिया गया था कि लाभार्थियों की सत्यापित आय को डाटाबेस में अद्यतित किया जाए। साथ ही अपर मुख्य सचिव (वित्त) ने सुझाव दिया कि आय के फील्ड में विभाग को स्व-घोषणा मोड से सत्यापित आय मोड में जाना चाहिए।

2.8 लाभार्थियों के मास्टर डाटाबेस के डिजिटलीकरण में कमी

लाभार्थियों के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि आधार नंबर, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट है, अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 की अवधि के दौरान 1,15,329 लाभार्थियों के लिए बदल दिए गए थे जिनमें 1,01,980 लाभार्थियों को अभी भी सामान्य रूप से पेंशन मिल रही है और शेष 13,349 लाभार्थियों की स्थिति को मृत/विवादित आधार/रद्द/डुप्लिकेट/अपात्र/निलंबित या पता न लगाए जाने वाले के रूप में अद्यतित कर दिया गया है।

आधार अधिनियम, 2016 (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं की लक्षित सुपुर्दगी) की धारा 7 के अनुसार आधार का उपयोग सेवाओं, लाभों तथा सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रमाणीकरण के साधन के रूप में किया जाता है।

चयनित योजनाएं अर्थात् (i) वृद्धावस्था पेंशन योजना, (ii) विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना और (iii) विकलांग पेंशन योजना क्रमशः 1964, 1980-81 और 1981-82 से परिचालन में थीं। हालांकि, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को विभाग द्वारा फरवरी 2015 से लागू किया गया था, जबकि हरियाणा में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए आधार का उपयोग एवं धारण 23 मार्च 2017 से अनिवार्य कर दिया गया था।

विभाग ने आधार नंबरों को उनकी यथार्थता सुनिश्चित किए बिना दर्ज किया और आधार डाटाबेस में प्रविष्ट किए गए नंबरों की कोई प्रामाणिकता नहीं थी। जब भी लाभार्थी ने आधार नंबर में सुधार के लिए संपर्क किया तो उसे डाटाबेस में सही कर दिया गया था।

इसके अलावा, 1,15,329 में से 1,045 लाभार्थियों के लिए आधार का परिवर्तन लेखापरीक्षा ट्रेल में दिखाई नहीं दिया था। इन लाभार्थियों के संबंध में लेखापरीक्षा ट्रेल के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन लापता लाभार्थियों के नाम कब या किस आईपी एड्रेस के उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए थे। लेखापरीक्षा ट्रेल का गुम होना एक गंभीर मामला है और यह इंगित करता है कि प्रणाली छेड़छाड़ विहीन नहीं है और प्रणाली की अखंडता के बारे में संदेह पैदा

[14] परिवार पहचान-पत्र का उद्देश्य राज्य में रहने वाले परिवारों का एक व्यापक, विश्वसनीय और सटीक डाटाबेस बनाना है, जिसका उपयोग विभिन्न विभागों द्वारा राज्य भर में कल्याण योजना प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इसमें परिवार की संरचना, उसके आवासीय विवरण, परिवार के प्रत्येक सदस्य के सामाजिक एवं आर्थिक विवरणों जैसे विवरण शामिल होंगे। परिवार पहचान-पत्र डाटाबेस में पंजीकृत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट 8-अंकीय आईडी जारी की जाती है। परिवार के सदस्य इस आईडी का उपयोग परिवार पहचान-पत्र से जुड़ी राज्य की किसी भी सेवा/योजना के लिए आवेदन करने के लिए कर सकते हैं।

करता है। लेखापरीक्षा ट्रेल के गुम होने की जांच की जानी चाहिए और उत्तरदायित्व तय किया जाना चाहिए।

लाभार्थी के नामांकन के बाद आधार नंबर में परिवर्तन और लेखापरीक्षा ट्रेल की अनुपस्थिति इंगित करती है कि नामांकन के समय आधार के साथ लाभार्थियों को प्रमाणित करने के लिए वैधता/सत्यापन जांच लागू नहीं की गई थी। इस प्रकार, सत्यापन जांच की कमी के कारण डाटा में संशोधन के प्रति एप्लिकेशन असुरक्षित है जिससे गलत भुगतान, लेन-देन की गलत पोस्टिंग और अंततः अर्हक खाते हो सकते हैं।

चयनित जिलों में डाटा विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि 23,772 लाभार्थियों के आधार बदल दिए गए थे। जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से चयनित छः कार्यालयों में चयनित 499[15] मामलों के साथ इसका क्रॉस सत्यापन किया गया था। जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने बताया कि सत्यापन के बाद इन मामलों में कार्रवाई की जाएगी।

लेखापरीक्षा से पता चला कि आधार में परिवर्तन का प्रावधान सामाजिक न्याय पोर्टल पर भी प्रदान किया गया है। विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां परिस्थितियों के कारण आधार नंबर को बदलने की आवश्यकता है, इसे कड़ी प्रक्रिया और एक लेखापरीक्षा ट्रेल द्वारा समर्थित होना चाहिए।

2.9 एक ही आधार नंबर पर कई लाभार्थियों को संवितरित पेंशन

हरियाणा सरकार की दिनांक 19 अप्रैल 2011 की अधिसूचना 203-एसडब्ल्यू(4)-2011 और दिनांक 5 सितंबर 2017 की अधिसूचना संख्या 878-एसडब्ल्यू(4)-201 के अनुसार, एक व्यक्ति अधिकतम एक पेंशन/भत्ते का लाभ उठा सकता है, भले ही वह नीचे सूचीबद्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में एक से अधिक योजनाओं के अंतर्गत पात्र हो:

(i) वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना।

(ii) विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए हरियाणा पेंशन योजना।

(iii) हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना।

(iv) बौना भत्ता योजना।

(v) किन्नर भत्ता योजना।

(vi) कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता।

इसके अलावा, हरियाणा सरकार की दिनांक 10 जून 2011 की अधिसूचना संख्या 459-एसडब्ल्यू (4)-2011 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के एक से अधिक बैंक खाते पाए जाते हैं, तो उसके सभी बैंक खाते रद्द कर दिये जाएंगे। वह भविष्य

[15] अंबाला-83, कैथल-100, करनाल-100, कुरुक्षेत्र-100, पंचकुला-16 और यमुनानगर-100

में राज्य की किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र हो जाएगा। वास्तविक सूचना को छुपाकर या गलत दावा करके इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को हरियाणा पेंशन तथा हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अप्रैल और अक्तूबर 2017 के मध्य 12,314 आधार आईडी के साथ 25,134 लाभार्थियों को ₹ 16.17 करोड़ की पेंशन अंतरित की गई थी। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि अप्रैल से अक्तूबर 2017 की अवधि के मध्य 14,641 लाभार्थियों (25,134 में से) को ₹ 9.32[16] करोड़ की पेंशन वितरित की गई थी, हालांकि स्थिति को गैर-मौजूद, रद्द, मृत, डुप्लिकेट, अप्राप्य, अपात्र आदि के रूप में अद्यतन किया जा रहा था और तत्पश्चात् अक्तूबर 2017 के बाद पेंशन बंद कर दी गई। ₹ 9.32 करोड़ के संवितरण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे देखे गए थे:

(क) एक ही या अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत दो या दो से अधिक लाभार्थियों को एक ही आधार आईडी पर अलग-अलग लाभार्थी पेंशन आईडी ***(परिशिष्ट-IV)*** के साथ पेंशन संवितरित की गई थी।

(ख) विभाग ने बिना[17] किसी आधार के उपर्युक्त उल्लिखित तीन योजनाओं के अंतर्गत 56 लाभार्थियों को पेंशन संवितरित की।

(ग) 3,265 आधार आईडी (12,314 आधार आईडी में से) का उपयोग करते हुए 6,593 लाभार्थी पेंशन आईडी सृजित की गई और ₹ 3.94 करोड़ की राशि इन लाभार्थियों को अंतरित की गई। इन 6,593 लाभार्थी पेंशन आईडी में से 3,328 पेंशन आईडी को मृत के रूप में अद्यतित कर दिया गया था और शेष 3,265 लाभार्थी पेंशन आईडी को अभी भी पेंशन मिल रही थी। इसके परिणामस्वरूप उन 3,328 लाभार्थियों को ₹ 1.96 करोड़ की अनधिकृत पेंशन का संवितरण हुआ जिनकी स्थिति डाटाबेस में मृत के रूप में घोषित की गई थी।

(घ) ₹ 1.98 करोड़ की पेंशन 3,052 लाभार्थी पेंशन आईडी को अंतरित की गई (अप्रैल से अक्तूबर 2017 के दौरान), जो 1,524 आधार आईडी का उपयोग करके सृजित की गई थीं। इन मामलों में, एक ही आधार वाले दो या दो से अधिक लाभार्थियों के लिए लाभार्थी का नाम और उसके पिता का नाम समान था। लेखापरीक्षा में एकल लाभार्थी के अनेक लाभ प्राप्त करने के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता।

---

[16] इसमें 274 लाभार्थी शामिल हैं जिन्हें ₹ 0.17 करोड़ की अनधिकृत पेंशन अंतरित की गई थी जैसा कि अनुच्छेद 2.10, 2.11, 2.13 और 2.14 में बताया गया है।

[17] प्रत्येक के सामने उल्लिखित आधार नंबर 9999-9999-9999 था।

(ङ) 68 लाभार्थी पेंशन आईडी को ₹ 4.51 लाख की पेंशन अंतरित की गई (34 आधार आईडी का उपयोग करके पेंशन आईडी सृजित की गई थीं), जहां दो अलग-अलग लाभार्थी पेंशन आईडी के लिए आधार और बैंक खाता संख्या समान था।

विभाग ऐसी विसंगतियों को उजागर करते हुए एक बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट रखने पर विचार कर सकता है और इन विसंगतियों को दूर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण भी विकसित कर सकता है।

अक्तूबर 2017 के बाद, एक ही आधार आईडी वाले एक या एक से अधिक खातों की स्थिति को मृत के रूप बताकर बंद कर दिया गया था तथा अन्य खाते की स्थिति सामान्य है अर्थात पेंशन अब तक संवितरित की जा रही है। इसका तात्पर्य यह है कि आधार का उपयोग लाभार्थी की पहचान की विशिष्टता के लिए नहीं किया गया था, आईडी में दोहराव को रोकने के लिए नियंत्रण मौजूद नहीं है और सत्यापन प्रक्रिया से छेड़छाड़ की गई थी।

डाटा विश्लेषण के दौरान यह अवलोकित किया गया कि छः चयनित जिलों में 6,501 मामले (लाभार्थियों) थे जिनमें एक ही आधार पर कई लाभार्थियों को पेंशन संवितरित की गई थी। जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से छः चयनित कार्यालयों में 330[18] मामलों के साथ इसे क्रॉस चेक किया गया था। सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने बताया कि इन मामलों में सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी।

उपर्युक्त अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए, यह देखा जा सकता है कि इनपुट नियंत्रण कमजोर थे जिसके परिणामस्वरूप पेंशन डाटाबेस में अपूर्ण, अनधिकृत/अप्रासंगिक और डुप्लिकेट डाटा की प्रविष्टियां हुईं। आगे, प्रलेखन की कमी के कारण, विभाग द्वारा परिकल्पित प्रणालीगत नियंत्रण उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के दौरान देखी की गई कमियों/विसंगतियों ने दर्शाया कि प्रणालीगत नियंत्रण अधिकतर अनुपस्थित थे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

2.10 दो योजनाओं के अंतर्गत एक साथ लाभ देकर अनुचित लाभ

हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 878-एसडब्ल्यू (4)-201 दिनांक 05 सितंबर 2017 (अधिसूचना संख्या 203-एसडब्ल्यू (4)-2011 दिनांक 19 अप्रैल 2011 के संदर्भ में) के अनुसार, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लाभार्थी लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना का एक साथ लाभ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु तक और वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद लागू है।

लाभार्थियों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजनाओं के अंतर्गत 298 लाभार्थियों को एक साथ ₹ 42.81 लाख की

[18] अंबाला-29, कैथल-80, करनाल-83, कुरुक्षेत्र-65, पंचकुला-4 और यमुनानगर-69

पेंशन अंतरित की गई। इसके परिणामस्वरूप 298 लाभार्थियों को ₹ 21.41[19] लाख का अनुचित भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकित किया कि इस उद्देश्य के लिए, लाभार्थी का खाता नंबर, नाम या पिता का नाम संशोधित करके अन्य योजना के लिए नई लाभार्थी आईडी आबंटित की गई लेकिन आधार नंबर वही रहा।

चयनित जिलों में, डाटा विश्लेषण से पता चला कि दो योजनाओं के अंतर्गत एक साथ 179 लाभार्थियों को पेंशन अंतरित की गई थी। जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से छः चयनित कार्यालयों में नमूना-जांच किए गए नौ[20] मामलों में इसे क्रॉस-चेक किया गया था। सत्यापन ने डाटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि की। कैथल जिले में एक मामले में ₹ 0.52 लाख की राशि वसूल की गई है। शेष 8 मामलों में अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के जिला समाज कल्याण कार्यालयों ने सूचित किया कि वसूली नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर2021)।

2.11 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में लाभार्थियों की पेंशन का अंतरण

सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 87 में प्रावधान है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ का अंतरण सीधे लाभार्थियों को किया जाना चाहिए। सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में चोरी और दोहराव को कम करने के उद्देश्य से मध्यवर्ती स्तर को कम करने और अभिप्रेत लाभार्थियों को भुगतान में विलंब को कम करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पुनःअभियंत्रण किया जाना चाहिए।

लाभार्थी डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 9,305 लाभार्थियों (अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 के दौरान) के लिए ₹ 54.54[21] करोड़ की पेंशन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता तथा विधवा एवं निराश्रित पेंशन में अलग-अलग नामों से बैंक खाते में अंतरित की गई थी, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 2.5: अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में अंतरित पेंशन के विवरण

पेंशन	लाभार्थियों की संख्या	अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 के दौरान अंतरित राशि (₹ में)
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	6,317	37,00,10,000
विधवा और निराश्रित पेंशन	2,988	17,53,81,400
कुल	**9,305**	**54,53,91,400**

[19] इसमें 2 लाभार्थी शामिल हैं जिन्हें ₹ 0.16 लाख की अनधिकृत पेंशन अंतरित की गई थी जैसा कि अनुच्छेद 2.11 और 2.14 में बताया गया है।

[20] अंबाला-2, कैथल-1, करनाल-1, कुरुक्षेत्र-2, पंचकुला-0 और यमुनानगर-3

[21] इसमें 37 लाभार्थी शामिल हैं जिन्हें ₹ 0.06 करोड़ की अनधिकृत पेंशन अंतरित की गई थी जैसा कि अनुच्छेद 2.12 से 2.14 में बताया गया है।

यह उल्लेख करना उचित है कि मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर और आधार नंबर को भी सही लाभार्थियों से नहीं जोड़ा गया है।

इसमें गबन का जोखिम शामिल है, और विभाग को ऐसे मामलों की जांच करनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

2.12 अपात्र लाभार्थियों को भुगतान

अधिसूचना संख्या 458ए-एसडब्ल्यू(4)-2011 दिनांक 10 जून 2011 के अनुसार, एक व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के अनुदान के लिए पात्र है, यदि (i) व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है; और (ii) व्यक्ति हरियाणा राज्य का अधिवासी और निवासी है।

साथ ही हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या 459-एसडब्ल्यू(4)-2011 दिनांक 10 जून 2011 के अनुसार, सही जानकारी को छिपाने या गलत दावा करने पर योजना के अंतर्गत प्राप्त किसी भी लाभ को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 1,860 लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अंतर्गत नामांकित किया गया था और इन लाभार्थियों को कुल ₹ 94.25[22] लाख की पेंशन अंतरित की गई थी।

यह दर्शाता है कि नामांकन के समय वांछनीय इनपुट नियंत्रण अर्थात् लाभार्थियों की वैधता और सत्यापन अपर्याप्त थे और अपात्र लाभार्थियों का नामांकन हो रहा था।

जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से चयनित छः जिला कार्यालयों में 500[23] मामलों का सत्यापन किया गया। सत्यापन ने डाटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि की। करनाल जिले के 58 मामलों के संबंध में वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी तथा 22 मामलों में ₹ 1.51 लाख की वसूली की गई। शेष 442 मामलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकुला और यमुनानगर के जिला समाज कल्याण कार्यालयों ने बताया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

2.13 सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण

अधिसूचना संख्या 458ए-एसडब्ल्यू(4)-2011 दिनांक 10 जून 2011 और अधिसूचना संख्या 308-एसडब्ल्यू(4)-2012 दिनांक 22 मार्च 2012 के अनुसार वह व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की प्रदानगी के लिए पात्र नहीं है जो किसी सरकार अथवा स्थानीय/सांविधिक निकाय या

---

22 इसमें 2 लाभार्थी शामिल हैं जिन्हें ₹ 0.05 लाख की अनधिकृत पेंशन अंतरित की गई थी जैसा कि अनुच्छेद 2.14 में बताया गया है।

23 अंबाला-100, कैथल-73, करनाल-100, कुरुक्षेत्र-100, पंचकुला-29 और यमुनानगर-98

किसी सरकार अथवा स्थानीय/सांविधिक निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी संगठन से पेंशन प्राप्त कर रहा है।

इसके अलावा, एक पात्र महिला भी विधवा और निराश्रित महिला हरियाणा पेंशन योजना के लिए अपात्र है यदि वह किसी सरकार अथवा किसी स्थानीय/सांविधिक निकाय या किसी सरकार अथवा स्थानीय/सांविधिक निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी संगठन द्वारा रोजगारप्राप्त है अथवा जो उनसे अधिसूचना संख्या 458बी-एसडब्ल्यू(4)-2011 दिनांक 10 जून 2011 के अनुसार पेंशनभोगी परिवार पेंशन प्राप्त कर रही है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के मामले में पात्रता मानदंड अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी से कम आय के लिए था।

अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 की अवधि के लिए लाभार्थियों के डाटा तथा कार्यालय महानिदेशक, खजाना एवं लेखा, हरियाणा और केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण सेल, भारतीय स्टेट बैंक, पंचकुला से एकत्र एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-पेंशन मॉड्यूल से पेंशनरों के डाटा (दिसंबर 2018 तक) के विश्लेषण से पता चला है कि इन तीन चयनित योजनाओं अर्थात् वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, हरियाणा विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना तथा हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकित 1,475 लाभार्थी हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी थे या परिवार पेंशनभोगी थे। इन लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण उपर्युक्त उल्लिखित सरकारी अनुदेशों का उल्लंघन था। इसके अलावा, यह अवलोकित किया गया था कि इन अनधिकृत व्यक्तियों को ₹ 8.60[24] करोड़ का संवितरण किया गया था, जो ब्याज सहित वसूलनीय था।

लेखापरीक्षा का मत है कि यदि अन्य एजेंसियों तथा विभाग अर्थात् केंद्र सरकार, सरकारी कंपनी, बोर्डों, स्वायत्त निकायों आदि से समान प्रकार के डाटा को व्यावसायिक बुद्धिमत्ता के अधीन किया जाए तो संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

डाटा विश्लेषण से पता चला कि चयनित छः जिलों में 485 मामले थे जिनमें सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन अंतरित की गई थी। जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से चयनित छः कार्यालयों में 26[25] चयनित मामलों में इसे वैध किया गया था। सत्यापन ने डाटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि की। कैथल जिले के पांच मामलों में ₹ 6.11 लाख की राशि वसूल की गई (चयनित नमूने से एक तथा अन्य मामलों में चार)। शेष 25 मामलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पंचकुला और यमुनानगर के जिला समाज कल्याण कार्यालयों ने सूचित किया कि सत्यापन के बाद पेंशन रोक दी गई है और वसूली नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

---

[24] इसमें 36 लाभार्थी शामिल हैं जिन्हें ₹ 0.07 करोड़ की अनधिकृत पेंशन अंतरित की गई थी जैसा कि अनुच्छेद 2.14 में बताया गया है।

[25] अंबाला-5, कैथल-5, करनाल-6, कुरुक्षेत्र-4, पंचकुला-1 और यमुनानगर-5

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने मामले को स्वीकार किया और बताया कि वसूली की जाएगी और साथ ही उदाहरणात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

2.14 पता न लगाए जाने वाले लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण

सरकार की अधिसूचना संख्या 459-एसडब्ल्यू(4)-2011 दिनांक 10 जून 2011 के अनुसार, यदि बैंक खाते से 60 दिनों की निरंतर अवधि तक कोई आहरण नहीं होता है तो ऐसे बैंक खाते को बैंक द्वारा इस योजना के लिए "निष्क्रिय" माना जाएगा और इस योजना के अंतर्गत लाभ का कोई और क्रेडिट नहीं होगा। ऐसे "निष्क्रिय" बैंक खातों की सूचना बैंक द्वारा विभाग को दी जाएगी। यदि लाभार्थी उचित कारण के साथ अगले 90 दिनों के अंदर बैंक खाते के पुन:संचालन के लिए आवेदन करता है, तो निदेशक की अनुमति से बैंक खाते को फिर से चालू किया जा सकता है। यदि नहीं, तो इस योजना के प्रयोजन के लिए बैंक खाते को "डेड" घोषित कर दिया जाएगा और अंतिम आहरण के बाद बैंक खाते में जमा किए गए लाभों को अर्जित ब्याज के साथ बैंक द्वारा विभाग को वापस प्रेषित कर दिया जाएगा।

यह देखा गया था कि तीन योजनाओं अर्थात वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को पेंशन तथा हरियाणा दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत ₹ 64.13 करोड़ की पेंशन 38,060 लाभार्थियों को अंतरित की गई थी, हालांकि बैंकों द्वारा उनकी स्थिति को 'पता न लगाए जाने वाले' के रूप में अपडेट किया गया था और इन लाभार्थियों ने भुगतान के लगातार 90 दिनों के बाद भी अपने बैंक खातों से पेंशन राशि आहरित नहीं की थी। इसके अलावा, यह राशि केवल 18 पेंशन संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों (63 पेंशन संवितरण बैंकों/डाकघरों में से) से संबंधित है। लेखापरीक्षा ने पाया कि पेंशन संवितरण करने वाले शेष 45 बैंकों/डाकघरों ने किसी लाभार्थी की पहचान और उसे 'पता न लगाए जाने वाले' घोषित करने से संबंधित कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा, पेंशन संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों द्वारा किसी लाभार्थी को 'पता न लगाए जाने वाले' घोषित करने से संबंधित कार्रवाई भी नियमित रूप से नहीं की जा रही थी।

पेंशन संवितरण करने वाले इन 18 बैंकों/डाकघरों में, आईसीआईसीआई बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने केवल एक बार अर्थात् जनवरी 2020 में कार्रवाई की। खाते को 'निष्क्रिय' घोषित करने में भी विलंब हुआ, जो 124 से लेकर 7,389 दिनों के मध्य था।

प्राधिकार-पत्र के अनुसार, असंवितरित राशि के विवरण संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों द्वारा हर माह प्रस्तुत किए जाने थे। तथापि, ऐसा कोई कुछ भी नहीं किया गया था तथा विभाग ने भी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों के साथ किसी समझौता शपथ-पत्र अथवा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने बताया कि बैंकों से ₹ 228 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। हालांकि, जिन लाभार्थियों से राशि की वसूली की गई है, उनके विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया था।

2.15 अपूर्ण लिगेसी डाटा की पोर्टिंग

लिगेसी डाटाबेस एक पुराना अभिलेख है जो लिगेसी अभिलेखों से मिलता है तथा विभागीय निर्णयों के लिए आधार भी बनाता है। डुप्लीकेट अभिलेखों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लिगेसी अभिलेखों के डिजिटलीकरण का कार्य एक महत्वपूर्ण पहलू था और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रणाली में पूर्ण और सही जानकारी दर्ज की जाए क्योंकि इसका उपयोग वांछित लाभार्थियों को लाभ के संवितरण के लिए लंबे समय तक किया जाएगा।

लिगेसी डाटा की सही पोर्टिंग के बारे में आश्वासन के अभाव में लेखापरीक्षा पुराने अभिलेख की कुल वसूली सुनिश्चित नहीं कर सकी। तथापि, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित विसंगतियां अवलोकित कीं:

2.15.1 लिगेसी डाटा में नामांकन तिथि को पोर्ट न करना

लाभार्थियों के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि पोर्ट किए गए 21,99,374 लाभार्थियों का डाटा अधूरा था। पुराने लिगेसी अभिलेखों से डिजिटाइज़ किए गए लिगेसी डाटा के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्य फ़ील्ड यानी 'नामांकन तिथि' को डाटाबेस में 'शून्य' के रूप में दिखाया गया था। प्रविष्टि/नामांकन तिथि यह जानने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है कि लाभार्थी ने लाभ प्राप्त करने के लिए कब नामांकन कराया था।

2.15.2 लिगेसी डाटा में गलत उम्र

चयनित तीन योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और राज्य द्वारा इन योजनाओं पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार इस खर्च की प्रतिपूर्ति द्विवार्षिक किश्तों (वर्ष में दो बार) में करती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की उप-योजनाओं के अंतर्गत पात्रता मानदंड और सहायता के पैमाने निम्नानुसार हैं:

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र आयु 60 वर्ष है। 60 वर्ष से 79 वर्ष के मध्य के व्यक्तियों के लिए पेंशन ₹ 200 प्रति माह है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन ₹ 500 प्रति माह है।

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना: पात्र आयु 40 वर्ष है तथा पेंशन ₹ 300 प्रति माह है। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को ₹ 500 प्रति माह मिलेगा।

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना: पेंशनभोगी के लिए पात्र आयु 18 वर्ष और उससे अधिक है तथा दिव्यांगता स्तर 80 प्रतिशत होना चाहिए। यह राशि ₹ 300 प्रति

माह है और 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को ₹ 500 प्रति माह मिलेगा। बौने भी इस पेंशन के लिए पात्र होंगे।

केंद्र सरकार के हिस्से के अलावा, राज्य सरकार भी अपना हिस्सा प्रदान करके लाभार्थी को लाभ पहुंचाती है। चूंकि राज्य सरकार को अपने लाभार्थी की आयु के बारे में पता नहीं है, तो केंद्र सरकार से राशि की प्रतिपूर्ति की मांग भी त्रुटिपूर्ण होगी जो राज्य सरकार के लिए एक हानि है।

एक व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के अनुदान के लिए पात्र है यदि वह व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है। इसी प्रकार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग का कोई दिव्यांग व्यक्ति दिव्यांग पेंशन तथा कोई महिला विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के अनुदान के लिए पात्र होगी।

चयनित योजनाओं के आंकड़ों की संवीक्षा से पता चला कि 15,646 मामलों में महत्वपूर्ण अनिवार्य फ़ील्ड जैसे जन्म तिथि और आयु 'शून्य' थी अथवा गलत प्रविष्ट की गई थी (जैसे 0 या 120 वर्ष से अधिक 2,068 वर्ष तक)। 15,646 लाभार्थियों में से 3145 लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन नामांकन से संबंधित थे जिसमें आयु क्षेत्र में डाटा गलत तरीके से प्रविष्ट किया गया था (60 वर्ष से कम या 120 वर्ष से अधिक) और दिव्यांग पेंशन तथा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के संबंध में शेष 12,501 लाभार्थियों के आयु क्षेत्र को डाटाबेस में 'शून्य' के रूप में अद्यतित किया गया था।

यदि आयु 60 वर्ष से कम के रूप में ली गई थी तो व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ता में नामांकन के लिए पात्र नहीं था और यदि इसे 120 वर्ष से अधिक के रूप में लिया गया था तो यह जांच का विषय है लेकिन पूर्ण डिजिटलीकरण के 39 माह बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा इन मामलों में कोई सुधार/जांच नहीं की गई है। आयु क्षेत्र में गलत प्रविष्टि से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना के संबंध में केंद्र सरकार से लगातार गलत प्रतिपूर्ति होगी।

2.15.3 मास्टर डाटाबेस से लाभार्थियों के मिसिंग रिकॉर्ड

लाभार्थी डाटा के विश्लेषण में यह पता चला कि 327 लाभार्थी आईडी के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल डाटा डंप में मौजूद थे लेकिन इन आईडी से संबंधित कोई रिकॉर्ड मास्टर डाटा टेबल (लाभार्थी तालिका) में मौजूद नहीं था। इसलिए, इन लाभार्थियों के बारे में जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, बैंक खाता नंबर आदि के साथ-साथ उन्हें किए गए भुगतान, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सका जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.6: लाभार्थियों के गुम अभिलेखों का विवरण

लाभार्थी आईडी की संख्या	ऑडिट ट्रेल्स में विवरण	टिप्पणियां
186	ऑडिट ट्रेल्स में प्रत्येक आईडी के सामने दो प्रविष्टियां, एक प्रविष्टि के लिए और दूसरी हटाने के लिए	इन आईडी के लिए मास्टर डाटाबेस में लाभार्थियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला

लाभार्थी आईडी की संख्या	ऑडिट ट्रेल्स में विवरण	टिप्पणियां
16	ऑडिट ट्रेल्स में प्रत्येक आईडी के सामने केवल एक प्रविष्टि अर्थात रिकॉर्ड को हटाने के लिए	इन आईडी के लिए मास्टर डाटाबेस में लाभार्थियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला
125	ऑडिट ट्रेल्स में प्रत्येक आईडी के सामने एक प्रविष्टि, प्रविष्टि रिकॉर्ड डालने के लिए है	इन आईडी के लिए मास्टर डाटाबेस में लाभार्थियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। लाभार्थी और उन्हें किए गए भुगतान की जानकारी का पता नहीं चल सका।
327	**कुल लाभार्थी आईडी**	

ऑडिट ट्रेल्स के अभाव में, डाटाबेस में अनधिकृत परिवर्तन से इंकार नहीं किया जा सकता। इससे गलत भुगतान हो सकता है।

2.15.4 मास्टर डाटाबेस में लाभार्थी आईडी अनुक्रम में अंतराल

आबंटित लाभार्थी आईडी अर्थात् लाभार्थी आईडी 3,871 से 3,934; 8,472 से 9,990; 4,38,109 से 4,39,430 तक के क्रम में अंतराल देखे गए थे जो मास्टर डाटाबेस में मौजूद नहीं थे। हालांकि, इन अंतरालों से पहले और बाद में लाभार्थी आईडी अन्य लाभार्थियों को आबंटित की गई थी। कई मामलों में, लाभार्थी आईडी में 1 या 2 आईडी का अंतराल भी पाया गया था।

इसके अलावा, लाभार्थी आईडी में भी महत्वपूर्ण अंतराल पाए गए। लाभार्थी आईडी 35,48,907 से 50,00,000 (14,51,094 आईडी की अनुपस्थिति), 25,83,454 से 26,55,133 (71,680 आईडी की अनुपस्थिति) तथा 33,50,818 से 33,77,769 (26,952 आईडी की अनुपस्थिति) तक के अनुक्रम में अंतर अवलोकित किया गया था।

सूचना और प्रणाली प्रलेखन के अभाव में, लेखापरीक्षा अपेक्षित आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि यह अंतर लिगेसी डाटा की पोर्टिंग के सामान्य क्रम में उत्पन्न हुआ था।

2.16 सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति का अभाव

किसी भी अच्छी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को विशेष रूप से विशिष्ट क्षेत्रों जैसे परिसंपत्ति वर्गीकरण, डाटा सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, भौतिक, तार्किक एवं पर्यावरण सुरक्षा, संचार सुरक्षा, कानूनी, नियामक एवं संविदात्मक अपेक्षाओं, सतत व्यवसाय आयोजना, सुरक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण, सुरक्षा उल्लंघन का पता लगाने एवं रिपोर्टिंग अपेक्षाओं, प्रवर्तन प्रावधानों का उल्लंघन, आदि के लिए न्यूनतम मानकों और अनुपालन आवश्यकताओं को इंगित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति निर्धारित करनी चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी डाटा सुरक्षा, निजता, गोपनीयता और संरक्षण पर राज्यों को सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य को अपनी परिसंपत्तियों के उचित जोखिम स्तर और रखरखाव आवश्यकताओं को निर्धारित करने और तदनुसार राज्य की सुरक्षा नीति तैयार करने के लिए सुरक्षा मुद्रा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग के पास कोई भी विश्वसनीय सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति नहीं थी। समीक्षा नीति, आवधिक समीक्षा', बैठक के कार्यवृत्त आदि के दस्तावेज अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।

2.17 उपयोगकर्ताओं/कर्मचारियों को प्रशिक्षण का अभाव

कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास कर्मचारी संसाधन आयोजना से निकटता से जुड़े हुए हैं।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि रोल आउट के समय स्टाफ को कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था और कोई आवधिक प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

2.18 व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा वसूली योजना न होना

व्यावसायिक निरंतरता तथा आपदा वसूली आयोजना और संबंधित नियंत्रण रखने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी रुकावट अथवा आपदा की स्थिति में कंप्यूटर सुविधाओं के अस्थायी अथवा स्थायी नुकसान की स्थिति में भी संगठन अपने मिशन को पूरा कर सकता है और यह अनुरक्षित ससूचना को प्रसंस्कृत करने, पुन:प्राप्त करने तथा संरक्षित करने की क्षमता नहीं खोएगा।

निरंतरता तथा आपदा वसूली आयोजनाओं का प्रलेखन, समय-समय पर परीक्षण तथा आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जाना चाहिए। बैक-अप को कई पीढ़ियों द्वारा उदाहरणार्थ दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक टेपों का उपयोग करके चलते रहना चाहिए। बैकअप को आपदा पुनर्प्राप्ति आयोजना तथा प्रणाली प्रलेखन की एक प्रति के साथ आग से सुरक्षित अन्य स्थल पर संग्रहित किया जाना चाहिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उपर्युक्त आवश्यकता के अनुपालन को दर्शाने वाला कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2.19 कमजोर पहुंच नियंत्रण

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सुरक्षा नियंत्रणों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश (जनवरी 2010) में गुणवत्ता प्रमाणीकरण गुप्त शब्द अथवा वाक्यांश (पासवर्ड) के उपयोग पर जोर देता है। दिशानिर्देश में परिभाषित सुरक्षा नियंत्रणों में प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश ई-गवर्नेंस के लिए सूचना प्रणाली में उपयोग के लिए अनुशंसित हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम पासवर्ड की आयु क्रमशः एक दिन और 30 दिन (आमतौर पर) होनी चाहिए। ये दिशानिर्देश पासवर्ड की जटिलताएं, प्रथम उपयोग पर तथा विशिष्ट अवधि के बाद पासवर्ड परिवर्तन, पासवर्ड के पुन:उपयोग पर प्रतिबंध आदि की अनुशंसा करते हैं।

यह अवलोकित किया गया कि दिशा-निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा कोई पासवर्ड नीति नहीं बनाई गई थी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)। हालांकि, जिला समाज कल्याण अधिकारी, करनाल, कैथल तथा यमुनानगर ने बताया कि अभ्युक्ति को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

2.20 सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में मिसिंग ऑडिट ट्रेल्स

लेखापरीक्षा ट्रेल हार्ड कॉपी में या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला है जो उपयोगकर्ता गतिविधि तथा अन्य घटनाओं का कालानुक्रमिक रिकॉर्ड प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि कैसे एक विशिष्ट लेन-देन प्रारंभ, प्रसंस्कृत और सारांशित किया गया था तथा लेन-देन के इतिहास, प्रणाली की कमियों, गलत लेन-देन, डाटा में परिवर्तन/आशोधन आदि को ट्रैक करने के लिए आवश्यक है। प्रणाली को व्यवसाय प्रक्रिया के दौरान होने वाली प्रत्येक घटना की तारीख और समय के साथ विभिन्न घटनाओं के लॉग रिकॉर्ड करने में सक्षम होना चाहिए।

लाभार्थियों के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 5,55,807 (40,07,597 लाभार्थियों की आईडी में से) लाभार्थी आईडी से संबंधित ऑडिट ट्रेल्स उपलब्ध कराए गए डाटा में मौजूद नहीं थे। लेखापरीक्षा ट्रेल के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कब या किस विभाग के उपयोगकर्ता द्वारा और किस आईपी पते से इन लाभार्थियों को नामांकित किया गया था।

इसके अलावा, ऑडिट ट्रेल्स में 1,183 अंतराल (लाभार्थी आईडी अनुक्रम में) पाए गए जिसमें 38,033 मदें/प्रविष्टियां/लेन-देन गायब थे। अपर्याप्त नियंत्रणों के कारण एप्लिकेशन प्रोग्राम/डाटा में अनधिकृत आशोधनों के प्रति संवेदनशील है। साथ ही इससे गलत भुगतान, भ्रामक रिपोर्ट, लेन-देन की गलत पोस्टिंग और अंततः अर्हता-प्राप्त खाते हो सकते हैं।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान मामले पर चर्चा की गई और यह राय दी गई कि विभाग द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए।

2.21 एक ही दिन में अनेक लाभार्थियों का अनुमोदन

ई-दिशा पोर्टल पर निर्धारित प्रणाली के अनुसार, आवेदक आवेदन-पत्र सरल पोर्टल/विभाग की वेबसाइट आदि से प्राप्त करते हैं और भरे हुए फॉर्म को आवश्यक समर्थक दस्तावेजों के साथ सरपंच/नगर पार्षद/राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/सत्यापित किया जाता है। इसके बाद, आवेदकों के विवरण और आवेदन-पत्र की स्कैन की गई प्रति को सरल पोर्टल पर अंत्योदय/सामान्य सेवा केंद्र ऑपरेटरों/स्वयं आवेदकों द्वारा ऑनलाइन मोड द्वारा अपलोड किया जाना है और जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा 'व्यू मोड' में आवेदन प्राप्त करने के बाद, आवेदन सत्यापन के लिए चिह्नित किया जाता है। आवेदन-पत्र और सहायक दस्तावेजों के साथ भौतिक सत्यापन के लिए आवेदक को ब्लॉक स्तरीय कार्यालय (जिला समाज कल्याण कार्यालय) जाना होता है। सत्यापन के बाद, जिला समाज कल्याण कार्यालय आवेदन को अनुमोदित करता है और आवेदकों को पेंशन आईडी प्रदान करता है। वेब इनेबल्ड एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से पेंशन पोर्टल में अनुमोदित लाभार्थियों का डाटा दर्ज किया जाता है। पेंशन संवितरण अगली आने वाली नियमित पेंशन के साथ शुरू किया जाता है।

लाभार्थियों के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि फरीदाबाद जिले में एक ही दिन (11 फरवरी 2020) में जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा 3,135 लाभार्थियों को अनुमोदित किया गया था। इसी तरह, संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय पलवल, सिरसा, सोनीपत और जींद जिलों द्वारा एक ही दिन में क्रमश: 1,206, 1,035, 1,297, 1,147 लाभार्थी मामलों को अनुमोदित किया गया। उपर्युक्त अनुमोदनों को चिंता के विषय के रूप में देखा गया है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग का मत था कि एक ही दिन में इतनी अधिक मात्रा में अनुमोदन के कारणों के बारे में संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालयों से पूछताछ की जा सकती है।

2.22 बैंकों और डाकघरों को कमीशन का अनियमित भुगतान

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन फाइल संख्या 32 (07)/पीएफ-II 2011 (खंड II) (पीएफ-II डिवीजन) दिनांक 26 फरवरी 2016 के अनुसार, सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लेन-देन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से किए जाने चाहिएं। मौजूदा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के परिपत्र के अनुसार प्रायोजक बैंकों, गंतव्य संस्थाओं और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मध्य साझा किए जाने वाले प्रत्येक लेन-देन के लिए ₹ 0.50 की लेन-देन लागत देय होगी। इसके अलावा, कार्यालय ज्ञापन फाइल संख्या 32(07)/पीएफ-II 2011 वॉल्यूम II दिनांक 01 जून 2016 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं से संबंधित लेन-देनों के प्रभारों के संबंध में, मौजूदा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम परिपत्र के अनुसार लेन-देन प्रभार लागू होंगे, जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 2015-16 के लिए सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लेन-देन के लिए, अपने दावों के निपटान के लिए संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क कर सकता है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से रूट नहीं किए गए थे, लेन-देन प्रभार केवल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम दर की सीमा तक दावेदार प्रायोजक बैंकों को देय होंगे। 31 मार्च 2016 के बाद, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण/एलपीजी हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लेन-देन जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से नहीं किए गए थे लेन-देन प्रभार या कैश आउट प्रोत्साहन के हकदार नहीं होंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत बैंकों और डाकघरों के माध्यम से लाभ अंतरित किया। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत सभी भुगतान भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से किए जाने चाहिए और इसके लिए प्रत्येक लेन-देन के लिए ₹ 0.50 देय था, जिसे प्रायोजक बैंक गंतव्य संस्थाओं तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मध्य साझा किया जाना था। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिया गया था कि 31 मार्च 2016 के बाद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से रूट न किए गए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लेन-देन, लेन-देन प्रभार अथवा नकद प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे।

विभाग ने अप्रैल 2016 और जुलाई 2020 के मध्य की अवधि के दौरान बैंकों और डाकघरों को योजनाओं के अंतर्गत अंतरित कमीशन के रूप में ₹ 38.05 करोड़ का भुगतान किया, जो भारत

सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन था क्योंकि सभी संबंधित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतान भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को शामिल किए बिना किए गए थे और इस प्रकार नियम के विरुद्ध थे। इसके अलावा, अभिलेखों में बैंकों/डाकघरों और विभाग के मध्य कोई समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित नहीं पाया गया।

2.23 राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर बचत डाटा का अद्यतन न होना

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, भारत सरकार द्वारा जारी "आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कारण लाभों का आकलन करने के लिए" दिशानिर्देशों/पद्धति के अनुसार, जिसमें परिकल्पना की गई है कि 'बचत संबंधी डाटा' मासिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन/राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष को सूचित किया जाना चाहिए। यदि कोई मंत्रालय/विभाग आवधिकता से विचलित होने का प्रस्ताव करता है तो उन्हें मामले को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन/राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के पास भेजना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 201.33 करोड़ की बचत राशि का निर्धारण किया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के अभिलेखों की संवीक्षा करते समय यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं के संबंध में बचत का डाटा राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष पर अपलोड नहीं किया गया था। यह उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

2.24 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गतयोजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा न करना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि ग्राम सभा/वार्ड समिति द्वारा प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार सभी योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा की जानी चाहिए और प्रत्येक सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए ग्राम सभा/वार्ड समिति को एक सामाजिक लेखापरीक्षा समिति का चुनाव करना होगा जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक योजना के कम से कम दो लाभार्थी शामिल होंगे, जिनमें से एक महिला होगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सामाजिक लेखापरीक्षा समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के लाभार्थियों का भी प्रतिनिधित्व हो।

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

2.25 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने अपात्र लाभार्थियों (मृतक, कम उम्र या अन्य योजनाओं में नामांकित) का नामांकन और भुगतान, एक ही आधार आईडी के अंतर्गत या आधार आईडी के बिना नामांकित कई लाभार्थी, लाभार्थियों के खाते के अलावा अन्य खाते में लाभ के अंतरण जैसी कमियों को अवलोकित किया। यह न केवल अपर्याप्त नियंत्रण बल्कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रभावी सत्यापन और निगरानी की कमी को दर्शाता है।

एप्लिकेशन में डाटा की अखंडता पर सवाल उठाने वाले उदाहरण थे जैसे मिसिंग ऑडिट ट्रेल्स, लाभार्थी डाटा और पता न लगाए जाने वाले लाभार्थियों को पेंशन का संवितरण।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की आयोजना और कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण था और यह आश्वासन कि प्रणाली अपने उद्देश्यों को पूरा करती है, पूर्ण प्रलेखन के अभाव के कारण लेखापरीक्षा में प्राप्त नहीं किया जा सका। डाटा के विश्लेषण ने विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं का अननुपालन दर्शाया, जैसा कि निष्कर्षों में वर्णित है कि प्रणाली अपने वर्तमान स्वरूप में अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं है और दोहराव एवं गलत भुगतान के जोखिम को कम करने में असमर्थ है।

2.26 सिफारिशें

- सही लाभार्थियों के खातों में भुगतान के अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार आधार पोर्टल के साथ लिगेसी लाभार्थियों के आधार नंबर के प्रमाणीकरण के लिए उचित प्रणाली विकसित कर सकती है।
- सरकार/विभाग इसकी पूर्णता, प्रामाणिकता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए लिगेसी डाटा सहित लाभार्थियों के डाटा की व्यापक समीक्षा कर सकता है।
- सरकार/विभाग लाभार्थियों के आवेदनों की संवीक्षा, वैधता और सत्यापन प्रक्रिया और लाभ के सही खाते में अंतरण के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करे। राज्य पेंशनभोगी डाटाबेस तक पहुंच प्राप्त की जानी चाहिए और लाभार्थियों के नामांकन से पहले क्रॉस सत्यापन किया जाए।
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अलावा सॉफ्टवेयर को विभिन्न एजेंसियों से जोड़कर मृत व्यक्तियों को पेंशन के संवितरण से बचा जाना चाहिए। लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से वित्तीय सहायता के भुगतान जैसी सूचना प्रसारित करने की प्रणाली पर विचार किया जाना चाहिए।
- सरकार प्रभावी निर्णय लेने और पर्यवेक्षण के लिए वास्तविक समय निगरानी तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकती है। यह पता न लगाए जाने वाले लाभार्थियों के संबंध में पेंशन की असंवितरित राशि का आकलन करने और अनधिकृत लाभार्थियों की पेंशन बंद करने और इन मामलों में विभाग के खाते में राशि वापस करने और लाभार्थियों को नियमित एसएमएस द्वारा जानकारी के लिए सूचना प्रणाली विकसित करने में सहायता करेगा।
- राज्य सरकार सभी लागू प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं, लाभार्थियों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के बाद अर्जित बचत की पहचान और बोर्डिंग के लिए उचित प्रणाली विकसित करे।

- राज्य सरकार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के तुरंत बाद पात्र लाभार्थियों के नामांकन को सक्षम करने के लिए तंत्र विकसित करे और उपयुक्त व्यवसाय पुन:अभियंत्रण प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता के लिए जिम्मेदारी तय करने के अलावा सहायता के अस्वीकार्य भुगतान की वसूली को प्रभावित करने के लिए सख्त प्रयास कर सकती है।
- जब भी किसी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का विकास या अद्यतनीकरण किया जाता है, विभाग अपेक्षित दस्तावेज (उपयोगकर्ता अपेक्षिता विनिर्देश, प्रणाली अपेक्षिता विनिर्देश, आदि) की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की कार्यात्मक अपेक्षिता की लेखापरीक्षा भी समय-समय पर की जा सकती है।